

1

ब्री राम कुमार,  
विशेष संर्पित,  
उत्तर प्रदेश भासन ।

तेजा ३

हृषीकेश माध्यमिक किंवा परिषद्,  
किंवा ऐन-2 समाप्त ऐन,  
प्रीति विहार, नेहरुगढ़लाली ।

पा १७। अनुभाग

ମାତ୍ରନ୍ତଃ ଦିନପି: ୨୫ ଜୁଲାଇ

**विषय:-** इस प्रकाशन में दर्शाया गया है कि विभिन्न विद्याएँ विभिन्न विधियों से बदलती हैं।

प्रह्लाद

अमर्यादित विषय पर हुई यह की जा चिनी गुरु और उसका अधिकारी एवं शिष्यों  
गुरुज्ञान दीक्षिका के तीनों विषयों के विद्यालयों ने संभवतः ऐसा नाम दिया  
की तौर पर यह विषय विद्यालय के अधिकारी विद्यालय के नाम से है ।

111 दियानप ती पंजीकृत त्रैत्रष्टी-दा-सन्द-सम्बं पर नवीनीकरण करापा  
जावेगइ ।

121 लिपान्तर ही प्रब्लेम समिति और शिक्षा निटेक द्वारा भासित रक्त लदाया होगा।

१३। विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत तथान अनुरूपित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित हैं और उनसे ३०५० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवार्तित विपासना में विभिन्न व्याजों के लिए निर्धारित हुए हैं उचित इल्ल नहीं लिपा जायेगा ।

141 तीसरा द्वारा राज्य सरकार से यिसी उनुटान की भौंग नहीं की जायेगी और यहि पूर्व में विधानसभा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उच्चाधिकारीक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विधानसभा की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नईटिली तो प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वह तो उक्त केन्द्रीय परिषद् की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि ते 30/9/20 माझे शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त उनुटान त्वकः समाप्त हो जायेगे ।

- 151 तैर्या ऐतिक सर्व दिनोंतार कर्मवारियों ला राजीप तड़काण प्राप्त किंवद्दुन सत्याजाँ के कर्मवारियों ला अनुमन्य वेतनमानों तथा उन्य भल्तों से कम वेतनमान तथा उन्य भल्ते नहीं दिये जायेगे ।
- 161 कर्मवारियों की लेवा झों बनाएगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासनीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मवारियों की अनुमन्य लेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध लाये जायेगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा सम्ब-सम्ब पर जो भी जाटग निर्धा छिये जायेग तत्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं मे रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों मे राज्य सरकार के पूर्वानुग्रोहन के बिना लोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं छिया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबधों का पालन करना तत्था के लिये जानिवार्ष होगा और पटि छिरी सम्ब यह पाया जाता है छि तत्था द्वारा उक्त प्रतिबधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने मे छिरी प्रबार की दूक पा जियिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीप,

**भवदीप**

पृष्ठो- ३००००० । १५-७-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व भावशङ्क कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त जिला निदेशक, **लखनऊ** ।
- 3- जिला विधालय निरीक्षक, **लखनऊ** ।
- 4- निरीक्षक, अंडेश्वर भारतीय विद्यालय, उ०७०, लखनऊ ।
- 5- प्रबोधल, **लखनऊ लोकोक्ति कालालय लखनऊ लोकोक्ति** ।
- 6- राई बुज ।

अ.ज्ञा. ते,

**भवदीप**  
संस्कृत विभाग

